कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, श्रावस्ती वन प्रभाग, श्रावस्ती।

पत्रांक– 2194 /33–1, दिनांक, श्रावस्ती, मार्च, 02 /2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त,
उ0प्र0, गोण्डा।

विषयः– **बहराइच–गोण्डा मार्ग एस0एच0–30 के कि0मी0 4.150 से कि0मी0 64.282 तक मार्ग के सुदृढ़ीकरण में बहराइच वन प्रभाग में प्रभावित 15.33 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 24897 वृक्षों के पातन एवं श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 6294 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 82.7212 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 35693 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।**

संदर्भ :– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–1334/11–सी–FP/UP/Road/147236/2021, दिनांक 24–11–2023 तथा आपका पत्रांक–2150/33–1,दिनांक 24–11–2023, पत्रांक–2663/33–1, दिनांक 02–01–2024, पत्रांक–2874/33–1, दिनांक 16–01–2024 तथा पत्रांक–3102/33–1, दिनांक 02–02–2024।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में निवेदनपूर्वक अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने सन्दर्भित पत्र द्वारा आपत्ति लगायी है, जिसका निराकरण कर कार्यालय अधिशासी अभियन्ता बाह्य सहायतित परियोजना खण्ड, लो0नि0वि0, बहराइच द्वारा प्रेषित किया गया है। उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी बिन्दुवार आपत्ति का निराकरण निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	कमियॉं	आख्या
1	2	3
1	भारत सरकार की आपत्ति सं0–01 व 02 के निराकरण के क्रम में आपके द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के संशोधित के0एम0एल0 फाइल की पेनड्राइव संलग्न किया जाने का उल्लेख है, किन्तु संलग्न नही किया गया है।	संलग्न कर प्रेषित है।
2	भारत सरकार की आपत्ति सं0–6 के निराकरण के क्रम में श्रावस्ती वन प्रभाग से सम्बन्धित बाधक वृक्षों की संख्या वन संरक्षक के पत्र दिनांक 22–11–2023, प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्यजीव प्रभाग के पत्र दि0 30–09–2023, प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच के पत्र दि0 27–10–2023 एवं प्रभागीय वनाधिकारी श्रावस्ती वन प्रभाग के पत्र दि0 01–11–2023 के कुल योग में बाधक वृक्षों की संख्या गलत अंकित है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग के पत्र दि0 09–10–2023 में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं आनलाइन पार्ट–2 के आधार पर तीनों वन प्रभागों में सही बाधक वृक्षों का वैज्ञानिक नाम सहित सूची ऑनलाइन पार्ट–2 में अपलोड करें तथा सही संख्या समस्त पत्रों एवं आनलाइन पार्ट–2 में अपलोड करें।	श्रावस्ती वन प्रभाग, श्रावस्ती के अन्तर्गत 6294 वृक्ष ही बाधित हो रहे है, जो वैज्ञानिक नाम सहित आनलाईन पार्ट–2 पर सही अंकित है। उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक–1045/33–1, दिनांक 1–11–2023 द्वारा पूर्व में अवगत कराया जा चुका है। बहराइच वन प्रभाग, बहराइच ने अपने कार्यालय के पत्रांक–4248/2–6, दिनांक 10–02–2024 द्वारा पत्र के विषय में श्रावस्ती वन प्रभाग में बाधक 8546 वृक्षों के स्थान पर 6294 वृक्ष जो सही है, को संशोधित कर दिया गया है।

Scanned with CamScanner

3	भारत सरकार की आपत्ति संख्या–07 के निराकरण के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच, गोण्डा एवं श्रावस्ती द्वारा सत्यापित मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र आनलाइन पार्ट–2 में अपलोड नही किया गया है।	प्रपत्र अपलोड किया गया है।
4	भारत सरकार की आपत्ति संख्या–08 के निराकरण के क्रम में तीनों प्रभागों का रोड साइड वृक्षारोपण स्कीम अपलोड नही किया गया है।	प्रपत्र अपलोड किया गया है।
5	भारत सरकार की आपत्ति संख्या–09 के निराकरण के क्रम में सिंचाई विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड नही किया गया है।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति (स्टेज–01) के उपरान्त ही ठेकेदार को निर्माण कार्य अवार्ड किया जायेगा तदोपरान्त ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत Workable Drawing पर ही सिंचाई विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
6	उपरोक्त समस्त कमियों का निराकरण के उपरान्त भारत सरकार की आपत्तियों का पूर्ण समेकित निराकरण ऑनलाइन पार्ट–2 में अनिवार्य रुप से अपलोड करें।	प्रपत्र अपलोड किया गया है।

अतः उक्त बिन्दुओं की आपत्तियों का निराकरण कर आनलाइन पार्ट–2 में अपलोड कर दिया गया है।

भवदीय

(धर्मेन्द्र नाथ सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
श्रावस्ती वन प्रभाग,श्रावस्ती।

Scanned with CamScanner